JALAUN POLICE

दिनांक – 11.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कान्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 01 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त रामेश्वर पुत्र छेदीलाल नि0 ग्राम सिकरी व्यास थाना कोटरा जनपद जालौन द्वारा वादिया के साथ छेड़खानी की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर दिनांक 10.10.2009 को थाना कोटरा में मु0अ0सं0 247/2009 (वाद संख्या 876/2009) धारा 354/504 भादवि बनाम रामेश्वर पुत्र छेदीलाल नि0 ग्राम सिकरी व्यास थाना कोटरा जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 11.10.2009 को अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी थी। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 11.10.2009 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 11.02.2025 को मा0 न्यायालय जे.एम. कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रामेश्वर उपरोक्त को दोषी पाते हुये 01 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।